

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 12/2026

राजस्थान सरकार जरिये महेन्द्र कुमार यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री राहुल प्रजापत पुत्र श्री होलूराम
काली माता मंदिर के पास, रामगंज, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्री रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 25.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.12.2025 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार उर्स मेला के तहत गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल श्री राहुल प्रजापत पुत्र श्री होलूराम काली माता मंदिर के पास, रामगंज अजमेर पहुँचा। दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर लगा कर व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के सदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए। दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर कार्य में घरेलू सिलेण्डर दुरुपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी की अवलहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। इसके पर श्री प्रकाश चन्द खेतावत पुत्र श्री पूरन चन्द खेतावत कार्मिक मैसर्स ख्वाजा गैस एजेंसी अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	6585	loc1	16.0	26.0	10.0

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, मय 10.0 किग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.12.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग, अवैध गैस रिफिलिंग किया जाना पाया गया। मौके पर 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 10.0 किग्राम एलपीजी पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी. जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 10.0 किग्राम एलपीजी को राजसात फरमावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि शिक्षा के अभाव में जानकारी नहीं होने से उपरोक्त कृत्य किया गया। भविष्य में पुनारावृत्ति नहीं होगी। अतः जब्तशुदा सिलेण्डर लोटाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध गैस रिफिलिंग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 04.12.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैध कृत्य स्वतः ही साबित है। अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, मय 10.0 किग्राम एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।




(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर